International Journal of Applied Research 2017; 3(6): 474-479

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(6): 474-479
www.allresearchjournal.com
Received: 15-04-2017
Accepted: 21-05-2017

डॉ० मो० तालीब
पी०एच०डी० राजनीति विज्ञान,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया,
बिहार, भारत

Correspondence
डॉ० मो० तालीब
पी०एच०डी० राजनीति विज्ञान,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया,
बिहार, भारत

महादलित जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की समस्याए

डॉ० मो० तालीब

सारांश
स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक उदार लोकतंत्र को अपनाया जिसका एक लिखित संविधन है और संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जाति और दलित कहे जाने वाले ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग को विशिष्ट व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार दिये गए। देश की एक वृद्ध सामाजिक बदलाव के ज़रिये सम्पन्न समाज के लोकतांत्रिक रूपान्तरण की प्रतिबद्धता भारतीय विकास नीति का अहम् हिस्सा रहा है। हालांकि छः दशक से भी ज़्यादा लम्बी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बावजूद दलित अभी भी हाशिये पर है और वंचना का शिकार है, जिनके मूल में असमानता और समाजिक भेद–भाव है। इन असमानताओं और भेद–भाव को मिटाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा बहुत सारा प्रयत्न किए गए परंतु इन असमानताओं और भेद–भाव के समस्या के निवारण का कोई खास असर नहीं दिखता यह पत्र में महादलितों से जुड़े सरकारी नीतियों समस्याओं एवं समाधानों का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा।

कुटशब्दः महादलित जाति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक

प्रस्तावना
दलित समुदाय भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है। यह कई तरह की समस्याओं से ग्रसित रहा है। प्रत्येक जटिल समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं तो आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। प्रायः इन लोगों का समाजिक स्तर नीचा होता है। भारतीय संदर्भ में यह व्यक्तियों का नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित समाज के एक हिस्से की विशेषता है, जिसकी सदस्यता प्रायः जन्मजात होती है। ये वे लोग हैं जो अस्पृश्यता के कारण समाज में अलग–थलग और सुविधाहीन स्थिति में रहते हैं अर्थात् परम्परागत हिन्दू जाति में उनको निम्नतम स्तर का माना जाता है। प्रारम्भिक काल से ही आजकल दलित कहे जाने वाले अनुसूचित जातियों पर अनेक कठोर प्रतिबंध लगाए जाते थे, जैसे, उन्हें कमीज एवं बनियान पहनना मना था, उन्हें आभूषण, चप्पलें, जूते और छाते का प्रयोग वर्जित था, घरों में केवल मिट्टी के बर्तन प्रयोग कर सकते थे। सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद शहर में प्रवेश वर्जित था, और उन्हें उच्च जाति हिन्दुओं से कुछ कदमों की दूरी बनाये रखनी पड़ती थी। इस प्रकार उन्हें पूर्णरूपेण बांध दिया गया था। अस्पृश्यता के वेश में जो अत्याचार उन पर किए जाते थे, वे कमोवेश आज भी जारी है। राज्य द्वारा सुधारात्मक उपायों तथा कल्याण सेवाओं के बावजूद समाज की अदृश्य शक्तियाँ समाजिक तोड़फोड़ करती रहती है। उदाहरणार्थ, ऐसे मामलों की रिपोर्ट आती है जहाँ यद्यपि दलित विद्यालय में तो दाखिल किए जाते हैं लेकिन एक ही कक्षा में उन्हें एक कोने में पृथक बेंचों पर बैठा कर पृथक कर दिया जाता है। यदि कार्यालय में सामूहिक भोज उच्च जातियों एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है तब ऐसे अवसरों पर उच्च जातियों के लोग विशेष अवसर के नाम पर निम्न जाति के लोगों से पहले भोजन करते हैं और उन्हें बाद में भोजन कराते हैं।
अस्पृश्यों को समाजिक कलंक इस सीमा तक माना जाता है कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है, ब्राह्मणों की सेवाओं से वंचित रखा जाता है, और उच्च जातियों द्वारा उन्हें हेय माना जाता है। वे अशुद्ध जन्मते हैं और अशुद्ध ही जीवन भी जीते हैं। समाज शुद्धता के विषय में इतना चिन्तित रहता है कि वे अस्पृश्यों को स्थाई रूप से आर्थिक, समाजिक और राजनीतिक अधीनता में ही रखते हैं। कलंक, जो जाति के अनुसार जन्मजात होता है, जीवनपर्यन्त चलता रहता है और किसी संस्कार द्वारा समाप्त नहीं होता है। व्यवहार के संबंध में परिभाषित किए जाने पर अस्पृश्यता उन प्रचालनों का स्वरूप है जो शेष समाज के द्वारा अस्पृश्यों से होने वाली अशुद्धता से स्वयं को बचाने के लिए अपनाए जाते हैं। परन्तु धार्मिक अशुद्धता का यह चिन्तन अस्पृश्यों की भूमिका तक सीमित नहीं है। बल्कि इस विचार ने उन्हें शारीरिक पृथकता के द्वारा आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से निम्न स्थिति में

रखा जाता है, सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि अस्पृश्य समूह यह समझने लगे हैं कि उनकी समस्या केवल राजनीतिक कार्यवाही से ही हल हो सकती है। हाल में ही संसद, विधानसभाओं, विभिन्न सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में पदो ंके आरक्षण तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य विशेषाधिकारों के कारण निम्न सांस्कारिक परिस्थिति के व्यक्ति के पास उच्च आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थिति प्राप्त करने के अच्छे आसार हैं लेकिन उच्च समाजिक परिस्थिति एक व्यक्तिगत मामला बन गया है।

यद्यपि अनेक दलितों ने जाति आधारित परम्परागत पेशों को त्याग दिया है लेकिन अभी भी बहुत संख्या में वे गन्दे पेशों में लगे हुए हैं। गन्दे पेशों में परिवर्तन तथा विविधता ने न केवल अस्पृश्यता का कलंक समाप्त कर दिया है बल्कि अनेक लोगों को वर्ग गतिशीलता में उठने के योग्य बनाया है। कुछ तो भूमि एवं मकान आदि सम्पत्ति के मालिक हैं। वे सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रदत्त अनेक आर्थिक लाभों को ले रहे हैं। परिस्थिति संबंधी निर्योग्यताएं अब अधिकतर गाँवों तक ही सीमित है। सार्वजनिक कुँआ एवं मंदिरों के प्रयोग के मामलों में भेदभाव अब इतने अधिक नहीं हैं जितने पहले थे। नौकरियों में उच्च पदों पर आसीन लोगों को समाजिक अन्तर्व्यवहार में निर्योग्यता कम आड़े आती है। अब व्यक्ति की राजनैतिक–आर्थिक स्थिति तथा उसकी समाजिक स्थिति के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध नजर आता है। परन्तु कुछ मामले में उनकी प्रदत्त परिस्थिति उनकी अर्जित परिस्थिति से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है, जैसे विवाह के मामले में। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासन, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, न्याय और विधि, आदि आधुनिक पेशों में दलितों के प्रवेश से उनके सहयोगी गुप्त रूप से ईर्ष्या करते हैं। ऐसा कुछ तो रूढ़िगत घृणा के कारण हैं और कुछ उनके पक्ष में किए जाने वाले संरक्षात्मक भेदभाव के कारण उत्पन्न ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण।

एक बड़ी संख्या में दलित जन्मजात हीनता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं जो प्रत्येक ऐसे व्यवहार के प्रति संवेदनशील बना देती है जो उनके विचार में भेदभाव रंजित हो। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा आरोपित भेदभाव सदैव किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवजन से, शिक्षा, सार्वजनकि सेवाओं में प्रवेश तथा राजनीतिक में प्रवेश से संभव हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि किस प्रकार दलितों तथा अन्य लोगों के बीच की संरचनात्मक दूरी कम हुई है।

सरकारी नीतियां–एक मूल्यांकन

अनुसूचित जातियाँ देश में वे जातियाँ हैं जो बुनियादी सुविधाओं और भौगोलिक अलगाव की कमी के कारण अस्पृश्यता और कुछ अन्य लोगों की सदियों पुरानी प्रथा से उत्पन्न चरम समाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित है और जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष विचार की आवश्यकता है। उनके हितों और उनके त्वरित समाजिक–आर्थिक विकास के लिए इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद उपा के खण्ड 1 में नीहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। भारतीय संविधान (अनुसूचित जातियों) निर्धारित संरक्षण और सुरक्षा के उपाय किए हैं या तो विशेष रूप से या नागरिकों के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर जोर देने का तरीका, उनके शैक्षिक और अर्थिक हितों को बढ़ावा देने और समाजिक अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से इन समाजिक समूहों को सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से संस्थागत प्रतिबद्धताओं को भी प्रदान किया गया है। समाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देख रेख करने वाला नोडल मंत्रालय है।

बिहार की नितीश सरकार ने 28 अगस्त 2007 को महादलित आयोग का गठन किया। महादलित आयोग का गठन होते ही इसके पक्ष तथा विपक्ष में दलील दी जाने लगी। एनसीएससी का तर्क है कि आरक्षण के लिए अवर्गीकृत करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार के एकतरफा निर्णय पर आपत्ति जताई। आयोग की सदस्य सत्या बहन ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग नहीं है (एससीएससी)। राज्य अनुसूचित जातियों के भलाई के लिए काम करना चाहता है तो इसे एससीएससी बनाना चाहिए। अनुसूचित जातियों की श्रेणी में से ही मौजूद कुछ जातियों को हटाकर कैसे एक आयोग की स्थापना की जा सकती है। एनसीएससी राज्य सरकार के कदम को असंवैधानिक मानती है।

भारत सरकार के समाजिक न्याय मंत्रालय ने फरवरी 2006 में अनधिसृजित, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपने अध्ययन में पाया कि अनाधिसूचित घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों का बहुमत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ी जाति, तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत है। एक ही समुदाय को अलग–अलग राज्य में भिन्न–भिन्न वर्ग में रखा गया है। बनजारा को आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, वही उन्हें कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार सहित कई अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया है। नट, बाजीगर, मदारी, कंजर, गांधाली, गुरूड़, चित्रकयी, कल्वेलिया आदि घुमंतू जाति तथा बेरांड, काइकाडी, परधीस, सनसिस आदि अनधिसुचित जाति का भी ऐसा ही हाल है।

भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों की सपाधिक समस्या को हल करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों ने उन्हें समाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की परन्तु सरकार उनकी समस्या का समाधान करने में विफल भी रही नीचे उल्लिखित सरकार के कुछ कदम हो जो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए उठाए गए है।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिनियम बनाया गया और 08.05.1955 को अधिसूचित किया गया इसके बाद वर्ष 1976 में इसे नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षण के रूप में संसोधन किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण 1977 के नियम को 1977 में अधिसूचित किया गया था यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। और अस्पृश्यता के प्रचलन के लिए दण्ड प्रदान करता है। इसे संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यन्वित किया जाता है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये अधिनियम अत्याचार पीड़ितों को राहत देने अंतर–जातीय विवाद के लिए प्रोत्साहन जागरुकता पैदा करने विशेष अदालतों की स्थापना आदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संसाधन अधिनियम 2015 (नंबर01, 2016) को भारत के राजपत्र (असाधारण) में 01.01.2016 को अधिसूचित किया गया था। संसोधित अधिनियम 26.01.2016 से लागू हुआ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995: जून 2014 में अत्याचार के शिकार लोगों को राहत राशि बढ़ाने के लिए पीओए नियमों में संशोधन किया गया जो कि रु 75000/– से रु 1 के बीच हो गया। 7,50,000/– अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रधान नियमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में

अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 में किए गए संशोधन को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, 14 अप्रैल 2016।

एससी मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार का निषेध (एमएस एक्ट 2013) शुल्क शौचालय और मैनुअल स्केवेंजिंग का उन्मूलन और वैकल्पिक व्यवसायों में मैनुअल मैला ढोने वालों का पुनर्वास सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। इस अंत की ओर एक बहु–आयामी रणनीति का पालन किया गया, जिसमें निम्नलिखित विधायी और साथ ही प्राग्तामेटिक हस्तक्षेप शामिल हैः ''मैनुअल स्केवेंजर्स का रोजगार और ड्राई लैट्रिन (निषेध) अधिनियम 1993 (1993 अधिनियम) का निर्माण।''

शहरी क्षेत्रों में सेनेटरी शौचालयों में शुल्क शौचालयों के रूपांतरण के लिए एकीकृत कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस) योजना तथा नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स (एनएसएलआरएस) का शुभारंभ।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार योजना। सरकार द्वारा उठाए गए उपरोक्त उपायों के बावजूद, मैनुअल स्कैवेंजिंग का अस्तित्व बना रहा जो 2011 की रिलीज के साथ स्पष्ट हो गया जनगणना के आंकड़े देश में 26 लाख से अधिक पागलपन वाले शौचालयों के अस्तित्व का संकेत देते हैं। इसलिए सरकार ने सभी प्रकार के पागलपन वाले शौचालयों और स्थितियों को कवर करने के लिए एक और कानून बनाने का फैसला किया, जो मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए अवसर देता है। एससी रोजगार पर प्रतिबंध के रूप में मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 (एम एस एक्ट 2013) संसद द्वारा सितंबर 2013 में पारित किया गया था और 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ प्राप्त करना है। इसके उद्देश्य पागलपन के शौचालयों को पहचाने और उन्हें खत्म करें। निषेधः (क) नियमावली मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार और (ख) सीवर और सोष्टिक टेंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई मैनुअल मैला ढोने वालों को पहचानें और उनका पुनर्वास करें।

महादलित जाति की समस्याएँ एवं समाधान

आज कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त हो चुका है। इसके बाद भी यह सत्य है कि धर्म की आड़ में फलने–फूलने वाली परम्पराओं की जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें समूल नष्ट करने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महादलित जाति के लोगों की समस्याएँ आज भी काफी गंभीर बनी हुई है। इन समस्याओं को कई भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है।

महादलित जाति की वर्तमान समस्याएँ

वर्तमान में महादलित जाति संक्रमण के दौर से गुजर रहा है क्योंकि यह एक महादलित जाति की श्रेणी में आता है। यद्यपि महादलित जाति के अंतर्गत आने वाली कुछ जातियों ने तो अपनी स्थिति में बहुत हद तक सुधार कर लिया है परंतु महादलित जाति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनुसूचित जातियों के कई कल्याणकारी योजनाएँ और संवैधानिक प्रावधान लागू होने के बावजूद भी यह महादलित जाति आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इनकी मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैंः

निवास स्थान की समस्या

महादलित जाति की बस्ती गाँव से अलग होती है। अर्थात् इनके बस्ती तक पहुँचने के लिए सड़कों का अभाव होता है। इनके मकान प्रायः कच्चे होते हैं अर्थात् पक्के मकानों से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। अधिकांश नट झोपड़ी में रहते हैं। साथ ही इनके आवासीय व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि इसमें स्वच्छ वातावरण का अभाव पाया जाता है। अर्थात् उसमें हवा और रोशनी कहीं से प्रवेश नहीं करती है। आजकल इंदिरा आवास के मिलने से भी इनकी आवासीय स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इनकी बस्तियों में गंदगी का अंबार लगा होता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती है अर्थात् घर के अंदर ही जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। स्वच्छ जल का अभाव होता है। इनकी बस्तियों में एक गन्दी बस्ती की करीब–करीब सभी विशेषताएँ उपलब्ध रहती है।

ऋणग्रस्तता की समस्या

मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रचलन ने महादलित जाति के समक्ष ऋणग्रस्तता की समस्या को उत्पन्न किया है। मुद्रा अर्थव्यवस्था आने के पूर्व वस्तु विनिमय की प्रथा थी। धीरे–धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था ने इन महादलित जाति के समक्ष काफी समस्या उत्पन्न कर दी। सीधे सादे महादलित महाजन के जाल को समझ नहीं पाए तथा ऋणगस्तता के जाल में बुरी तरह फंस गए। साहूकारों ने केवल इनकी अर्थव्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर दिया है बल्कि इन्हें ऋण के जाल में उलझाकर रख दिया है। कुछ महादलितों की स्थिति यह है कि आज भी उनके सदस्य ऋण के सूद नहीं चुका पाने की स्थिति में महाजनों के यहाँ बन्धक बन कर कार्य कर रहे हैं। नटों में व्याप्त ऋणग्रस्तता के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे–निर्धनता, विद्यमान, साहूकारी कानूनों में कमियाँ, संस्थागत वित्त स्रोतों से ऋण एवं उपभोक्ता साख प्राप्त करने की पेचीदी प्रणाली को समझने में असमर्थता, अशिक्षा एवं जागरुकता का अभाव, रोजगार के अवसरों में अत्यधिक कमी, इत्यादि।

सूदखोरों का विरुद्ध विधानों के निर्माण के बावजूद भी इन सूदखोरों के द्वारा महादलित का शोषण लगातार जारी है। अधिनियम एवं विनियमों को लागू करने के लिए कोई समुचित कार्यप्रणाली नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों अथवा अन्य स्थलों में महाजनों के व्यापार के नियंत्रण के लिए लाइसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं। महाजन लोग नटों से अत्यधिक ब्याज दर वसूल कर उनका शोषण जारी रखे हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूर तथा नटों के भूमियों का हस्तानान्तरण लगातार जारी है। यह एक बात है कि जबसे वे महाजन से सूद पर रुपये लेते हैं तो अपनी ज़िन्दगी में उसकी कई गुणा सूद चुका देने के बाद भी मूलधन चुका नहीं पाते हैं।

रोजगार की समस्या

परम्परागत पैसे अब महादलित जाति की जिंदगी का बोझ ढोने में सक्षम नहीं रह गए हैं। अरबों की पूंजी से चलने वाली कंपनियों ने इन पेशों का विकल्प पेश कर दिया है। जंगल कटते गए। अभक्ष्य पशु–पक्षियों की संख्या भी घटती गई है। पूरा समुदाय अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहा है। महादलित जाति के ही बी. एन. राठौर कहते हैं कि जमींदारी के खत्म होने के साथ पहलवानी का महत्त्व भी खत्म हो गया। महादलित समुदाय के लोग चमड़े का कार्य करते थे। अब बड़ी–बड़ी कंपनियों ने चमड़े का कार्य उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी। महादलित महिलाएँ गोदना–गोदने का काम करती थी। इस मशीन युग में, शरीर के जिस भाग में जैसी आकृति चाहें छापी जा सकती हैं, वह भी बिना पीड़ा के। फिर गोदना कौन गोदवाएगा? सिनेमा, टेलीविजन और बड़ी–बड़ी सर्कस कंपनियों के सामने नाचने, गाने और मदारी का काम करने वाले महादलित का क्या महत्व रह गया है।

मद्यपान की समस्या

महादलित जातियों की एक गंभीर समस्या मद्यपान की समस्या है। मद्यपान के फलस्वरूप ही ये महादलित जाति के लोग अपनी कमाई का आधा से अधिक भाग मद्यपान में खर्च कर देते हैं। इन

जातियों के बच्चे बाल्य–काल से ही मद्यपान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जाति अत्यधिक कर्मठ होते हैं इसलिए अपनी थकान को मिटाने के लिए ये प्रतिदिन मद्यपान करते हैं। कुछ लोगों का समुदाय मद्य के साथ ही होता है। इनकी बस्ती में यह एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। मद्यापान को ये स्वयं के लिए कोई समस्या के रूप में स्वीकार करते ही नहीं।

धार्मिक समस्याएँ

महादलित जाति के लोगों को समाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के साथ–साथ धार्मिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वे उच्च जाति वाले हिन्दुओं के मंदिर में नहीं जा सकते थे। उनके धार्मिक उत्सवों में समाज के उच्च वर्ग के पंडित नहीं आना चाहते थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनने, पूजा–पाठ करने, जनेऊ धारण करने, तपस्या एवं यज्ञ करने, धार्मिक पुस्तक पढ़ने आदि की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्य होने के कारण वे ऊँची जातियों के धार्मिक कृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे। इन धार्मिक समस्याओं/प्रतिबंधों के कारण बहुत से नट जातियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया।

राजनीतिक चेतना की समस्या

स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान कर शासन में हिस्सेदारी बना दिया गया है। महादलित राजनीति रूप में पीछे है। उनके पीछे इनकी बिखरी हुई आबादी है। बिहार में महादलितों की संख्या लाखों में है। नट जाति बिहार में लगभग सभी जिलों में देखने को मिलते हैं। फिर भी अशिक्षा के कारण एकजुट नहीं है। साथ ही यह समुदाय किसी भी राजनीतिक दल का वोट बैंक नहीं है। महादलित जाति की अशिक्षा का लाभ राजनीतिक दल उठा लेते हैं। स्थानीय एवं राज्य स्तर पर इनमें राजनीतिक सहभागिता का अभाव है। इस जाति की जनप्रतिनिधि भी नहीं देखने को मिले हैं। अनुसूचित जातियों के लिए किए राजनीति में आरक्षण का लाभ इस जाति की पहुँच से बाहर है। इसलिए विशेषकर इनकी दशा एवं दिशा को सुधारने की कोई योजना नहीं बन पाती है तथा न ही इनकी समस्याओं को सरकार से अवगत कराया जाता है।

समाजिक भेदभाव

महादलित जाति की समस्या का आधारभूत पक्ष है– समाजिक भेदभाव। महादलित जाति के लोगों के साथ समाजिक भेदभाव आज भी बरता जाता है चाहे वे हिन्दु, मुस्लिम, सिख अथवा ईसाई समाज के अंग हों। अस्पृश्यता किसी–न–किसी रूप में आज भी बनी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा और न ही उसके ऊपर निम्न कोई शर्त या प्रतिबन्ध होगा।

अत्याचार

मोटे तोर पर अत्याचार से आशय सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से है जो गैर दलितों द्वारा गरीब, कमजोर और अपनी रक्षा करने में असमर्थ महादलित जाति के लोगों के ऊपर ढाये जाते हैं। सामान्यतया अत्याचार की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, आगजनी तथा हिंसा सम्बन्धी अधिक गंभीर किस्म की शारीरिक क्षति और अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के तहत अत्याचार के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध और अनुसूचित जातियों द्वारा अस्पृश्यता एवं भेदभाव सहित किये गये सत्ताइस प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मोटे तौर पर अनुसूचित जातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये वे सभी अपराध जो जिला अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ट में भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनयम (1955) तथा अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं, अत्याचार की श्रेणी में आते हैं।

निर्धनता

निर्धनता महादलितों को विरासत में मिली है। अल्प मजदूरी, निश्चित पेशा, संपत्ति का अधिकार न होने, बेगार प्रथा, दास प्रथा तथा अत्यंत ही अल्प मजदूरी मिलने के कारण महादलितों की आर्थिक दशा अत्यन्त ही दयनीय है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी ये बिल्कुल असमर्थ रही है। ऐसी स्थिति में इनका बौद्धिक एवं समाजिक विकास संभव हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। निर्धनता के कारण निम्न जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं। इन्हें न तो उचित वस्त्र मिलता है, न ही भोजन और नही आवास जीवन की प्रत्येक आवश्यक आवश्यकताओं के लिए इन्हें अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब भी इनके जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है।

शिक्षा की समस्या

अज्ञानरूपी अंधकार को दूर भगाती है शिक्षा। यह मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं को उभार कर मानव समाज और ब्राह्मांड, दोनों के स्वरूप को समझने की क्षमता विकसित करती है। यह मनुष्य को रचनाशील बनाती है। मनुष्य और समाज, दोनों को बदल डालने वाला हथियार है शिक्षा। इसी से मुक्ति संभव है। लेकिन इतिहास के एक मोड़ पर उसे अभिजात तबके की बपौती बना दिया गया। तब से यह दबे–कुचलों की पहुँच की सीमा में नहीं रह गई है। भारत के संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल अधिकार विषयक सहमति पत्र तथा भारत में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के अध्ययन के लिए समय–समय पर बनाई गई समीतियों की अनुशंसाओं में इसे सर्वसुलभ बनाने का वायदा किया गया। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अभिजात तबके के जटा–जूट में खो गई ज्ञान–गंगा को दबे–कुचलों के लिए सुलभ करा पाना अब तक संभव नहीं हो सका है। बिहार का नट समुदाय उन्हीं दबे–कुचलों में से एक है, जिसके पास तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है।

महादलित जाति की समस्या का समाधान

महादलितों को मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास पुराना है। किन्तु आधुनिक काल के पहले महादलितों की मुक्ति के लिए जो प्रयास हुए, उनका क्षेत्र प्रधानतः धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं पाश्चात्य मूल्यों के प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप आध्यात्कि विमुक्ति की तुलना में महादलितों की सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष तेज हुआ। परवर्ती ब्रिटिश काल में एक तरफ समाजिक सुधारकों ने दलितों की समाजिक स्थिति में सुधार के लिए लोगों का आह्वान किया तो दूसरी ओर प्रांतीय सरकारों ने उन्हें समान नागरिक अधिकार एवं सुविधाएं मुहैय्या कराने के उद्देश्य से आवश्यक कानूनों का निर्माण किया। हालांकि ब्रिटिश एवं प्रान्तीय सरकारों ने दलितों की समाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया किन्तु इस दिशा में ठोस प्रगति आजादी के बाद ही सम्भव हो सकी।

स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और समाजिक न्याय पर आधारित आवश्यक मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। अस्पृश्यता अपराध घोषित की गई। दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई। उन्हें विधानसभा एवं लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई तथा सरकारी एवं अर्धसरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। जिनका लाभ उन्हें अभी तक प्राप्त हो रहा है। संविधान की भूमिका, मौलिक अधिकार तथा

नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के शेक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अधिकाधिक पूर्ति पर विशेष बल दिया गया है। उनके विकास और कल्याण के लिए कार्य करना राज्यों का मुख्य दायित्व बताया गया है। समानता और समाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए संविधान की धारा 38 और 39 (अ), (ब) और (स) के तहत शासन ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। दलित जातियों के उत्थान के मद्देनजर रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उनके लिए पृथक से आर्थिक संसाधनों एवं कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

शैक्षिक विकास

महादलित जातियों में साक्षरता दर 22.4 प्रतिशत है। शासन ने इनके आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए उनके बच्चों को शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से विशेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में उनके प्रवेश के लिए आरक्षण एवं रियायतें दी गई है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में पूरी छात्रवृत्ति किन्तु शेष पाठ्यक्रमों में आधी छात्रवृत्ति की पात्रता है। 1954 से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप योजना लागू की गई।

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र तथा मार्गदर्शन केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूति जाति के उम्मीदवारों को परीक्षापूर्व प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधा जुटाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी गई है।

आर्थिक विकास

महादलित जातियों के आर्थिक विकास के लिए वर्तमान समय में कई योजनाएँ कार्य कर रही हैं। लेकिन विशेषकर अनुसूचित जातियों में से महादलित जाति की समाजिक आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। इसका कारण इन्हें अपेक्षित आर्थिक सहायता प्राप्त न होना है?

समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम

महादलित जाति के परिवारों की दरिद्रता को मिटाने के लिए यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी विकास खण्डों में क्रियान्वित किया गया। इनके उत्थान के लिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि कुल ऋण एवं अनुदान का कम से कम 30 प्रतिशत भाग उपेक्षित वर्गों के परिवार को दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर कुछ परिवारों को लाभ पहुँचाया गया है।

विशेष कम्पोनेट योजना

यह योजना 1980 में लागू की गई। इस योजना में विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के परिवारों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित अनेक स्कीमें होती हैं। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इसके अन्तर्गत इन जातियों के परिवारों को प्रधानतः निम्न सेक्टरों में लाभ दिया जाता है।

1. कृषि और सम्बद्ध सेक्टर विशेष रूप से पशुपालन, डेरी, कृषि, लघु सिंचाई, मछली पालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, बकरी पालन तथा भेड़ पालन।
2. उद्योग– विशेष रूप से कुटीर एवं ग्रामोद्योग, करघा दस्तकारी और रेशम उत्पादन।
3. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पानी की सफाई।
4. ग्रामीण विकास

विशेष केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार राज्यों की विशेष कम्पोनन्ट योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता भी देती है। इस सहायता से प्राप्त की गई अतिरिक्त आय राज्यें द्वारा उनकी विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं में परिव्ययों के साथ केवल आय उत्पन्न करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। ताकि अनुसूचित जातियों के अधिक से अधिक परिवारों को आर्थिक प्रगति करने में सहायता की जा सके।

अनुसूचित जाति विकास निगम

ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के जटिल होने तथा वित्तीय सहायता की प्राप्ति में विलम्ब आदि के कारण अनुसूचित जाति के परिवारों को शासन की विभिन्न परिवारोन्मुख विकास योजनाओं से लाभ उठाने में कठिनाई होती थी। इस समस्या के निवारण के लिए अनुसूचित जाति की काफी आबादी वाले 17 राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगत स्थापित किए गए। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों के केन्द्र की सहायता, निगम का मुख्य कार्य शासन की विभिन्न योजनाओं में इन जातियों के आर्थिक विकास के लिए जो कार्य आरम्भ किए गए हैं उन्हें गति देना है।

संविधान की धारा–17 के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त् कर दिया गया और इसका किसी प्रकार का आचरण निषिद्ध कर दिया गया। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी प्रकार की अनर्हता लगाना कानून की दृष्टि से दंडनीय अपराध निरूपित किया गया। धारा–25 (2) (ब) सभी सार्वजनिक प्रकृति की धार्मिक हिन्दू संस्थाओं को सभी हिन्दुओं के लिए खोल दिए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 (2) के तहत स्कूलों में सभी को प्रवेश पाने का समान अधिकार प्रदान किया गया। संविधान की धारा 35 (अ) (11) के तहत ''अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955'' पारित हुआ। इस कानून में आगे चलकर आवश्यक संशोधन किए गए। संशोधित कानून 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' के नाम से दिनांक 19 नवम्बर 1976 से लागू हुआ। इन सब कोशिशों से छुआछूत जरूर कम हुई लेकिन गई नहीं है। आज भी इनके कुएं अलग हैं, बस्तियां अलग हैं। यहाँ तक की शमशान घाट भी अलग है। शहरी कोलनियां अथवा सरकारी बंगलों का आवंटन हो, पुलिस भोजनालय हो अथवा स्कूल और कॉलेजों के छात्रावास हों, अछूतों के साथ भेदभाव गया नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूतकाल में जो कठोर शास्त्रीय निर्योग्यतायें दलितों पर थोपी गई थीं वे अब बहुत कुछ किससे कहानी या किताबी बातों के रूप में रह गई हैं। फिर दलितों की ओर विशेष रूप से नट समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। महादलित जाति की गिरी हुई समाजिक एवं आर्थिक स्थिति का कारण जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के बाबत दो तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो यह कि जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण का विषम यन्त्र है जिसमें निम्न जातियों को साधारण पारिश्रमिक पर उच्च जातियों की सेवा तथा निम्नतर या बहिष्कृत जातियों को अन्य जातियों की पतित सेवा के लिए बाध्य किया जाता है। धार्मिक मान्यताएँ एवं शास्त्रीय सिद्धान्त तो मात्र इस आर्थिक शोषण को समाजिक एवं वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए बने हैं। दूसरा तक यह दिया जा सकता है कि जाति व्यवस्था एक धार्मिक घटना है जो कालान्तर में समाजिकार्थिक शोषण का साधन बन गई। उपरोक्त दोनों में से हम चाहे कोई भी दृष्टिकोण अपनाएँ किन्तु इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता, आर्थिक प्रभुत्व और शोषण के शक्तिशाली उपकरण है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज भी महादलित जाति जो

कि आज भी गरीबी की निचले पैदान पर ही नहीं बल्कि उन्हें, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, भूमिहीनता, कुपोषण, शोषण, छुआछूत आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावे सदियों से चली आ रही भारत की समाजिक व्यवस्था में वे बहिष्कृत श्रेणी में रहे हैं। वर्तमान समाजिक आर्थिक व्यवस्था में यह समुदाय समाजिक बहिष्करण से ज्यादा प्रभावित है हालांकि विभिन्न सरकारी एवं संवैधानिक प्रयासों तथा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनके समाजिक समावेश के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन इनके पूर्ण सफल एवं सार्थक परिणाम नहीं निकल पाये हैं।

कई साक्ष्य यह संकेत देते हें कि इनके बदलाव और अतीत की स्थितियों की निरंतरता अब भी मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद नट समुदाय के समाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में इनकी सहभागिता में वृद्धि कर इनहें समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जेम्स सी स्काट वीपंस ऑफ द वीक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1990, पृ. 40–41
2. जी.एन. देवीः ए नोमेड कॉल्ड थिक, ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली, पृ.21
3. दिलिप डीसूजा, ब्रांडेड बाई लॉः उकिंग ऐट इंडियाज डीनोटिफाईड ट्राइब्स, पैंग्विन बुक्स इंडिया, नई दिल्ली, 2001, की भूमिका में जी.एन. देवी
4. इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक–40, 4–8 अक्टूबर 2008, पृ.6
5. हिन्दुस्तान हिंदी दैनिक, पटना, 14 सितम्बर 2007, पृ.11
6. यादव सुबह सिंहः ग्रामीण समाज के नये क्षितिज, मानव पब्लिकेशन, प्रा.लि., नई दिल्ली, 1994, पृ.224–330